न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5922/2001/नागौर

रमजी पुत्र छोगा जाति भांबी निवासी इग्यासनी तहसील डेगाना जिला नागौर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— शंकर पुत्र जवारा (मृतक) जरिये वारिसानः—

1/1. देवाराम पुत्र शंकर जाति भांबी, निवासी मेड़ता रोड़, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

1/2. मदनलाल पुत्र शंकर

1/3. पप्पुराम पुत्र शंकर

1/4. श्यामलाल पुत्र शंकर

समस्त जाति भांबी, निवासी पोलास, तहसील डेगाना जिला नागौर।

1/5. सुखी देवी पत्नि रामकुवार पुत्री शंकर निवासी बिचपुडी, तहसील डेगाना जिला नागौर।

1/6. पारसी पत्नि उगराराम पुत्री शंकर जाति भांबी निवासी ग्राम माईदंड तहसील मेड़ता जिला नागौर।

2— धन्ना पुत्र जवारा

3— तेजा पुत्र जवारा

समस्त जाति भांबी निवासी ईग्यासनी तहसील डेगाना जिला नागौर।

..... प्रत्यर्थीगण

4— रामनिवास पुत्र पूराराम

5— हीरका पुत्र धुला

6— जोरा पुत्र धुला

7— चन्द्रा पुत्र गुंला

8— नाथा पुत्र अखा

समस्त जाति भांबी, निवासी ईग्यासनी तहसील डेगाना जिला नागौर।

9— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना।

..... तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थित :
श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजेन्द्र चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 09–9–2025

1– यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–3–1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण ने अपीलार्थी व शेष प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर डेगाना के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम इग्यासनी तहसील डेगाना का खेत खसरा नम्बर 153 रकबा 141 बीघा 9 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण का 1/4 बंट व हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 का 1/2 बंट व हिस्सा बताते हुए बंटवारा कराने की इस्तदुआ की है। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 153 रकबा 141 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी केवल मात्र लछुड़ी बेवा बुधा व प्रतिवादी नम्बर 3 से 6 के नाम होकर वादी शंकर की न तो खातेदारी है तथा न कब्जा काश्त भूमि है। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त भूमि सेटलमेंट के पूर्व 1/2 हिस्सा गुल्ला का एवं शेष 1/2 हिस्सा छोगा व बुधा का था। छोगा के दो पुत्र हुए रमजी एवं पूरा जिसमें पूरा बुधा के गोद चला गया इस कारण खसरा नम्बर 153 के कुल रकबा के 1/2 हिस्से पर समभाग में रमजी एवं पूरा खातेदार हो गये। बुधा की पत्नि लिछुड़ी के फौत होने पर नामान्तकरण की कार्यवाही में पूरा बुधा का गोद पुत्र मानकर उसके पुत्र रामनिवास के पक्ष में ग्राम पंचायत चोलियावास ने दिनांक 08–7–1968

को नामान्तकरण हेतु आदेश पारित किया था जिससे साबित है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है, इसलिए वाद निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद व जवाब दावे के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम करते हुए निर्णय दिनांक 15–12–1988 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–3–1998 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी रमजी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण का निर्णय करते हुए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बंटवारे के वाद में प्राथमिक डिक्री पारित नहीं करते हुए बिना तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाये अंतिम डिक्री पारित की है, जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। तकासमा के दावे में बिना प्रारम्भिक डिक्री के वादीगण को विशिष्ठ भूमि देकर गलत निर्णय किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय तनकीवार न होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखने में विधिक त्रुटि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादीगण के पक्ष में गलत विवेचन कर निर्णय पारित किया है, क्योंकि वादीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे उनका भूमि पर कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। वादीगण भूमि को पुश्तैनी भूमि साबित करने में सर्वथा विफल रहे थे। अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत चोलियावास का निर्णय दिनांक 08–7–1968 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से खसरा संख्या 153 पर बुधाराम की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण आदेश बुधाराम की बेवा लिछड़ी की मृत्यु होने पर विरासतन उसके गोद पुत्र पूरा के फौत हो जाने से उसके पुत्र रामनिवास के पक्ष में पारित किया गया था, जिसमें वादीगण का उजर खारिज कर दिया गया था एवं उनका कोई हक नहीं माना गया था। उक्त आदेश को वादीगण द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी थी जिससे उक्त

आदेश अंतिम हो चुका था। इस प्रकार निर्णय दिनांक 08–7–1968 के होते हुए भी वाद में यदि कोई गलत इन्द्राज वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में करवा भी लिया गया तो इससे वादीगण को बिना अधिकार बंटवारा कराने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इन समस्त तथ्यों के बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादीगण के पक्ष में निर्णय पारित किये गये हैं जो कि निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण ने अपना हक व हिस्से का बंटवारा करवाने का वाद पेश कर दावे को साक्ष्यों से स्पष्टतः साबित किया था। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों तथा तथ्यों का विस्तृत व गुणावगुण पर विवेचन करते हुये वादीगण द्वारा उनके जिम्मे रहे विवाद्यकों को साबित करना मानकर दावा उचित रूप से डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी तनकीवार विवेचन कर अपीलार्थी की अपील खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का पक्ष साबित न होने की स्थिति में दावे में उनका पक्ष व अपील खारिज की है, इनमें क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर इनमें अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– अपील के आधारों व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ–साथ रिकॉर्ड का गहनता से आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन अनुसार विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा बंटवारे का दावा प्रस्तुत करने पर दावा व जवाब दावे के आधार पर दावे के निर्णय हेतु कुल 6 तनकीयात कायम कर तनकी संख्या 1 से 4 को वादीगण के जिम्मे रखी गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में तनकीवार साक्ष्यों तथा तथ्यों का विवेचन कर इन्हें पृथक–पृथक निर्णीत न कर एक साथ इन चारों तनकीयात को वादीगण द्वारा साबित करना मानते हुये इन्हें वादीगण के पक्ष में निर्णीत कर दिया है। आदेश 20 नियम 5 जाब्ता दीवानी अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार अपना निर्णय नहीं पारित करने से निर्णय को विधिसम्मत होना नहीं माना जा सकता है।

8— वादीगण का दावा बंटवारे का होकर उनके द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 141 बीघा 9 बिस्वा में उनका 1/4 हिस्सा होकर इसका मिट्स एंड बाउंड्स पर पक्षकारान के मध्य विभाजन करवाया जाकर स्वयं के हिस्से को अलग करवाने का अनुतोष मांगा है। बंटवारे के दावे में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर दावे में अंतिम डिक्री जारी कर पक्षकारान का संयुक्त खाता पृथक—पृथक किया जाना अपेक्षित है। लेकिन विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई प्रारम्भिक डिक्री जारी न कर विवादित भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा घोषित करते हुए 35 बीघा 5 बिस्वा भूमि ''अगूणी तरफ का जिसके चारों तरफ सींवे माठें धोरा पाली बताई गई है'' को वादीगण के स्वत्व में घोषित कर इसे दर्ज रिकार्ड करने का आदेश दिया है। बंटवारे के दावे को इस प्रकार बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी किये विशिष्ठ भूमि को सीधे ही वादीगण के नाम दर्ज करने का निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर यह विधिसम्मत आदेश नहीं है। मातहत अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में उपरोक्त विधिक त्रुटियों को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया गया है। हमारा सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में विधिक आधारों पर त्रुटि होने से दोनों आदेश स्थापित रखने योग्य न होकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है।

9— उपरोक्त विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर तथा न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 28—3—1998 तथा दिनांक 15—12—1988 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा संख्या 7 व 8 में विवेचन अनुसार पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुये दावे को गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुये निर्णीत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य